संख्या-6/2024/569/57-24-3(10)/2015

प्रेषक

लक्ष्मण राम,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में

निदेशक,
धर्मार्थ कार्य निदेशालय,
उत्तर प्रदेश, वाराणसी।

धर्मार्थ कार्य अनुभाग **लखनऊ: दिनांक 11 मार्च, 2024**

विषय:- सिन्धु दर्शन की यात्रा करने वाले उ0प्र0 के मूल निवासी तीर्थयात्रियों को राज्य सरकार की ओर से अनुदान दिये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में अगवत कराना है कि शासनादेश संख्या-307/527-2019-3(10)/2015 दिनांक 06 जून, 2019 द्वारा सिन्धु दर्शन की तीर्थ यात्रा से वापस आने वाले उ०प्र० के मूल निवासियों को राज्य सरकार की ओर से रू0 20000/- का अनुदान प्रदान किये जाने की व्यवस्था की गयी है। उक्त व्यवस्था के क्रम में वर्ष 2023-24 कुल 128 तीर्थ यात्रियों/श्रद्धालुओं द्वारा अनुदान स्वीकृत किये जाने का आवेदन पत्र धर्मार्थ कार्य विभाग की निर्धारित वेबसाइट पर प्राप्त हुए जिसके सापेक्ष पात्र तीर्थ यात्रियों के आवेदन उक्त शासनादेश के अनुसार वैध पाये जाने पर अनुदान हेतु निर्धारित धनराशि स्वीकृत की जाती है।

2- चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 के अनुदान सं0-084 के लेखाशीर्षक- 2250-अन्य समाजिक सेवाएँ, 101-धर्मार्थ प्रयोजनों के लिए दान-06-प्रदेश के सिन्धी समाज के तीर्थ यात्रियों के लिए अनुदान 42 अन्य व्यय के मद में प्राविधानित धनराशि रू0 10.00 लाख का उपयोग करते हुए वर्ष 2023-24 में यात्रा से वापस आने वाले तीर्थ यात्रियों को ही अनुदान दिये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष वित्तीय स्वीकृति प्रदान करती हैं-

नियम व शर्ते / प्रतिबन्धों

(1) प्रश्नगत कार्य एवं इस हेतु धनराशि दिए जाने हेतु समस्त औपचारिकताओं की पूर्ति करते हुए सक्षम स्तर के अनुमोदनोपरान्त वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी किये गये सुसंगत नियमों एवं निर्देशों के अनुरूप धनराशि का उपयोग किया जाय।

(2) यह भी सुनिश्चित किया जायेगा कि धनराशि का उपयोग उसी मद में किया जायेगा, जिसके लिये निर्गत की गयी है।

(3) किसी भी प्रकार की वित्तीय अनियमितता का उत्तरदायित्व आपका होगा।

(4) स्वीकृत की गयी धनराशि का आहरण निदेशक, धर्मार्थ कार्य विभाग, उ०प्र० वाराणसी/ आयुक्त, वाराणसी मण्डल, वाराणसी द्वारा स्वयं अथवा उनके द्वारा प्राधिकृत पदधारक द्वारा कोषागार, वाराणसी से किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

3- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 10,00,000 (रुपये दस लाख मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 20232024 के आय-व्ययक मे **अनुदान संख्या** 084 **लेखा शीर्षक** 2250001010600 प्रदेश के सिन्धी समाज के तीर्थ यात्रियों के लिये अनुदान **मानक मद** 42 अन्य व्यय के नामे डाला जायेगा।

4- यह आदेश वित्त (आय - व्ययक) अनुभाग - 1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या - 2/2023/बी-1-227/दस-2023-231/2023, दिनांक- 17-मार्च, 2023 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

(लक्ष्मण राम)
अनु सचिव।

संख्या-6/2024/569/57-24-3(10)/2015, तद् दिनांक।
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- महालेखाकार, उ०प्र० प्रयागराज।
2- संयुक्त निदेशक, धर्मार्थ कार्य निदेशालय, उ0प्र0 वाराणसी।
3- मुख्य कोषाधिकारी, वाराणसी।
4- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-5 उ0प्र0 शासन।
5- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(लक्ष्मण राम)
अनु सचिव ।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।